

[2023] 6 एस. सी. आर. 456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस.

बनाम

के. कनगराज और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील सं. 3466-3468)

बी.

08 मई, 2023

**[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और मनोज मिश्रा, जे. जे।]**

न्यायालयवन्त्यायालयिन्यायालयदन्यायालयन्यायालययन्यायालययुन्यायालयतन्यायालय  
 न्यायालयवन्त्यायालयिन्यायालयभन्त्यायालयान्यायालयगन्त्यायालय,न्यायालय  
 न्यायालयसन्यायालयमन्त्यायालयून्यायालयहन्यायालय अपीलार्थियों  
 न्यायालयसन्यायालयहन्यायालयान्यायालययन्यायालयकन्यायालय  
 न्यायालयअन्यायालयभन्त्यायालयिन्यायालययन्यायालयन्यायालयतन्यायालयान्यायालय  
 न्यायालय(न्यायालयवन्त्यायालयिन्यायालयदन्यायालयन्यायालययन्यायालययुन्यायालयतन्यायालय  
 )न्यायालय न्यायालयभन्त्यायालयरन्त्यायालयतन्यायालयीन्यायालय  
 न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्त्यायालय,न्यायालय  
 न्यायालय 1 न्यायालय 9 न्यायालय 7 न्यायालय 9 न्यायालय-  
 न्यायालयसन्यायालयहन्यायालयान्यायालययन्यायालयकन्यायालय  
 न्यायालयअन्यायालयभन्त्यायालयिन्यायालययन्यायालयन्यायालयतन्यायालयान्यायालय  
 न्यायालय(न्यायालयवन्त्यायालयिन्यायालयदन्यायालयन्यायालययन्यायालययुन्यायालयतन्यायालय  
 )न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयपन्त्यायालयदन्यायालय  
 न्यायालयपन्त्यायालयदन्यायालयोन्यायालयनन्यायालयन्यायालयनन्यायालयतन्यायालयिन्यायालय  
 य-न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्त्यायालयोन्यायालयन्यायालय  
 न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयतन्यायालयहन्यायालयतन्यायालय,न्यायालय  
 न्यायालयसन्यायालयहन्यायालयान्यायालययन्यायालयकन्यायालय  
 न्यायालयअन्यायालयभन्त्यायालयिन्यायालययन्यायालयन्यायालयतन्यायालयान्यायालय

[illegible]

[illegible]

न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयनीन्यायालय  
न्यायालयडन्यायालयिन्यायालयगन्यायालयरन्यायालयनीन्यायालय  
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयन्यायालयपन्यायालयन्यायालयतन्यायालय  
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालय  
न्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयन्यायालयतन्यायालय  
न्यायालयबन्यायालयन्यायालयदन्यायालय  
न्यायालयसन्यायालयहन्यायालयन्यायालयन्यायालयकन्यायालय  
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालयन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालय  
न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालयरन्यायालयन्यायालयपन्यायालय  
न्यायालयमन्यायालयन्यायालयन्यायालय  
न्यायालयपन्यायालयदन्यायालयन्यायालयनन्यायालयन्यायालयनन्यायालयतन्यायालय  
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयन्यायालयन्यायालय  
न्यायालयगन्यायालयन्यायालयन्यायालय न्यायालयथन्यायालयन्यायालय।न्यायालयडी.  
स्टीफन जोसेफ के मामले में लिया गया दृष्टिकोण लागू कानून है-नियमों के तहत, डिप्लोमा  
धारक और डिग्री धारक और जूनियर इंजीनियर के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के बीच  
का अंतर डिग्री प्राप्त करने से पहले या बाद के वर्षों के बीच किसी भी अंतर के बिना है-उच्च  
न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण-सेवा कानून को बरकरार रखा गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सेवा कानून-वरिष्ठता-आयोजित:इसके तहत या संलग्न परंतुक के तहत बनाए गए किसी भी  
वैधानिक परंतुक या नियम के अभाव में

एच.

456 ए.

457

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और  
ओआरएस।

अनुच्छेद 309 के अनुसार, एक बार जब किसी पदधारी को नियमों के अनुसार पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता को नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 309।

सेवा कानून-पदोन्नति-पदोन्नति के लिए दो माध्यम-उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन-पर चर्चा की गई।

बी.

डी. स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ और अन्य। **(1997) 4**

एससीसी **753:[1997] 3 एस. सी. आर. 1040-लागू।**

सी. चक्रवर्थी और अन्य बनाम एम. सत्यवती, आई. ए. एस और अन्य।

**(2015) 16 एस. सी. सी. 652-पर निर्भर।**

शैलेंद्र दानिया और ओआरएस बनाम एस. पी. दुबे और अन्य। **(2007)**

सी.

5 एससीसी 535:[2007] 5 एस. सी. आर. 190; एम. बी. जोशी बनाम सतीश कुमार पांडे (1993) 2 पूरक।एससीसी 419:[1992] 2

पूरक।एससीआर **1**; के. के. दीक्षित और ओआरएस बनाम राजस्थान आवास

बोर्ड और ए. एन. आर. (2015) 1 एससीसी 474:[2014] 10 एससीआर 397;

अनिल कुमार गुप्ता बनाम दिल्ली नगर निगम

**(2000) 1 एससीसी 128:[1999] 4 पूरक।एससीआर 553;**

डी.

चंद्रवती पी. के. और अन्य बनाम सी. के. साजी और अन्य। **(2004)**

3 एससीसी 734:[2004] 2 एस. सी. आर. 330; सतपाल अंतिल बनाम भारत संघ (1995) 4 एस. सी. सी. 419:[1995] 1 पूरक।एससीआर 1;

ए. के. रघुमनी सिंह बनाम गोपाल चंद्र नाथ **(2000)**

4 एससीसी 30:[2000] 2 एससीआर 943; प्रमोद के. पंकज बनाम बिहार राज्य (2004)

3 एससीसी 723:[2003] 5 पूरक।एस. सी. आर. 916-संदर्भित।

ई.

संदर्भित निर्णय

**[2007] 5 एससीआर 190**

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

**[1997] 3 एस. सी. आर. 1040** लागू पैरा 7 **[1992] 2** पूरक था।एस. सी. आर. 1 पैरा 10 **[2014] 10** एस. सी. आर. 397 पैरा 12 **[1999] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 17 **[2004] 2** एस. सी. आर. 330 को संदर्भित एस. सी. आर. 553

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

जी.

**(2015) 16 एस. सी. सी. 652**

पर भरोसा किया गया |

पैरा 19

**[1995] 1** पूरक।एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

**[2000] 2 एससीआर 943**

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

**[2003] 5** पूरक।पैरा 22 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 916

एच.

458

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 3466-3468।

2009 के डब्ल्यू. पी. सं. 26525, 2010 के 221 और 7165 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

बी.

राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लिखी चंद बोन्सले, राहत बंसल, सुश्री कोमल मुंधरा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए। अनुराग दुबे, भूपेंद्र कुमार भारद्वाज, सुश्री अंजलि तिवारी, सुश्री गीतांजलि सेतिया, सुश्री दिव्या भारद्वाज, एस. आर. सेतिया, अरविंद एस., सुश्री उमा भुवनेश्वरी सी., अब्बास बी., अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

संजय किशन कौल, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थियों पुडुचेरी सरकार के विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेवा में शामिल हुए, जिन्होंने कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति से पहले ही इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली थी। दूसरी ओर, निजी उत्तरदाता डिप्लोमा के साथ जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा में शामिल हुए और सेवा के दौरान इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की।

डी.

ई.

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

3. पांडिचेरी सरकार, विद्युत विभाग, समूह बी (तकनीकी) सहायक अभियंता (विद्युत) भर्ती नियम, 1979 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, और शेष 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। पदोन्नति का अगला मार्ग सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर है।

एफ.

4. उक्त नियमों के तहत सहायक अभियंता के पद के लिए 80 प्रतिशत रिक्तियों को 'पदोन्नति' और 20 प्रतिशत को 'प्रत्यक्ष भर्ती' द्वारा भरा जाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वालों के लिए तीन साल की नियमित सेवा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल डिप्लोमा रखने वालों के लिए सात साल की नियमित सेवा के साथ जूनियर इंजीनियरों के बीच पदोन्नति की जाती है। 'पदोन्नति' के विषय पर भर्ती नियमों के पैराग्राफ 11 के सहपठित पढ़े गए नियम 4 में एक बाद का संशोधन किया गया था। इसके बाद, संशोधित नियमों में ए के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

जी.

एच.

459

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

वे जूनियर इंजीनियर जिनके पास 3 साल की नियमित सेवा के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री है। शेष 50 प्रतिशत उन कनिष्ठ अभियंताओं के लिए निर्धारित किया गया था जिनके पास 7 साल की नियमित सेवा के साथ डिप्लोमा है।

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. उपरोक्त का महत्व यह है कि सहायक अभियंता के पद पर अपनी पदोन्नति अर्जित करने के लिए, एक कनिष्ठ अभियंता, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, के पास कम वर्षों की सेवा होनी चाहिए, जबकि डिप्लोमा धारक के मामले में, सेवा के लिए आवश्यक अवधि, पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए, अधिक थी। हम देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते समय डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक के बीच कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार, जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या एक डिप्लोमा धारक के लिए, जो रोजगार के दौरान डिग्री प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करने से पहले एक जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा की अवधि निम्नलिखित है -

जी.

एच.

460

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा की योग्य अवधि की गणना करने के लिए बाहर रखा जाएगा।

6. पुडुचेरी प्रशासन ने नियमों का अर्थ यह समझा कि जब तक डिप्लोमा धारक डिग्री प्राप्त करता है, तब तक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने से पहले जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा में बिताई गई अवधि को गिना जाएगा। इस प्रकार, अपीलार्थियों ने ओ. ए. सं. <आई. डी. 1 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ (इसके बाद 'कैट' के रूप में संदर्भित) का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कनिष्ठ अभियंताओं, जो मूल रूप से डिप्लोमा धारक थे और सेवा के दौरान डिग्री प्राप्त कर चुके थे, को डिग्री कोटे के तहत सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत करने के पुडुचेरी प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई, जिसके तुरंत बाद उन्होंने डिग्री प्राप्त करने की तारीख से तीन साल की निरंतर सेवा पर जोर दिए बिना अपनी डिग्री प्राप्त की। आरोप है कि इसके परिणामस्वरूप जूनियर इंजीनियरों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, जो डिग्री धारक के रूप में सेवा में शामिल हुए थे।

बी.

सी.

प्रक्रियात्मक इतिहास:

डी.

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष

7. कैट ने दिनांक 1 के एक आदेश के माध्यम से, आंशिक रूप से अपीलार्थियों के पक्ष में पाया और राय दी कि जूनियर इंजीनियरों के लिए योग्यता सेवा, जिन्होंने डिग्री कोटे के तहत सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए अपनी सेवा के दौरान अपनी डिग्री प्राप्त की, उस तारीख से विचार किया जाना चाहिए जब उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। यह

ई.

कैट का दृष्टिकोण शैलेंद्र दानिया और ओआरएस बनाम पर आधारित था। एस पी दुबे

& ओआरएस। 1. कैट ने राय दी कि वर्तमान मामले में विचाराधीन नियम उपरोक्त मामले में नियम के लगभग समान हैं और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला कि डिग्री और डिप्लोमा धारक अलग-अलग हैं, और दोनों अपने-अपने कोटे में पदोन्नति के हकदार हैं। कैट ने अपने विवेक में ऐसा नहीं किया

एफ.

डी. स्टीफन जोसेफ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले पर विचार करें। 2 पर

इस आधार पर कि शैलेंद्र दानिया और अन्य मामलों में इस न्यायालय के बाद के फैसले को देखते हुए इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। 3 8. उपरोक्त दृष्टिकोण के

परिणामस्वरूप पुडुचेरी के कई कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं।

जी.

1 (2007) 5 एस. सी. सी. 535

2 (1997) 4 एस. सी. सी. 753

3 (ऊपर)

4 2009 की डब्ल्यू. पी. संख्या 26525 और 2010 ए की डब्ल्यू. पी. संख्या 221 और 7165

एच.

461

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

बिजली विभाग, जो आदेश से प्रभावित थे, लेकिन कैट के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किए गए थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलें

9. उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, दोनों पक्षों ने उपरोक्त दो फैसलों-शैलेंद्र दानिया और अन्य पर अपीलार्थियोंओं पर भरोसा किया। 5 मामला जबकि डी. स्टीफन जोसेफ 6 मामले पर उत्तरदाता।शैलेंद्र दानिया और अन्य। 7 मामला निर्विवाद रूप से एक बाद का निर्णय है और एक अलग नियम से संबंधित है, हालांकि इसे लगभग समान बताया गया है, जबकि डी. स्टीफन जोसेफ 8 मामला उसी नियम से संबंधित है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।प्रत्यर्थियों का निवेदन था कि विचाराधीन नियमों में ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है कि बिजली इंजीनियरिंग में डिग्री के अधिग्रहण के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

10. उच्च न्यायालय ने डी. स्टीफन जोसेफ 9 मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया।इस ओर से, एम. बी. जोशी बनाम सतीश कुमार पांडे 10 के फैसले पर भी उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, जिसे डी. स्टीफन जोसेफ 11 मामले में सेवा नियमों की व्याख्या के पहलू के रूप में उद्धृत किया गया था। उक्त मामले में कहा गया कि जब कोई नियम काफी विशिष्ट होता है, तो केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से अनुभव को गिनना उचित नहीं होगा क्योंकि इस तरह की व्याख्या कर्मचारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य का उल्लंघन

करेगी। विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रासंगिक पिछली प्रथा के समान प्रभाव होने के कारण, एक कनिष्ठ अभियंता के कार्यकाल पर विचार करने की प्रथा ने विभाग के नियम का दर्जा प्राप्त कर लिया था। साथ ही, यह भी देखा गया कि चूंकि विचाराधीन नियम की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा की गई थी, इसलिए कैट के लिए कुछ अन्य नियमों के निर्णय पर भरोसा करना संभव नहीं था। इस प्रकार चर्चा किए गए उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के संदर्भ में, यह देखा गया कि शैलेंद्र दानिया और अन्य। 12 मामला, बाद का फैसला है

डी.

ई.

एफ.

5 (ऊपर)

जी.

6 (ऊपर)

7 (ऊपर)

8 (ऊपर)

9 (ऊपर)

10 (1993) सप.(2) एस. सी. सी. 419 11 (ऊपर)

12 (ऊपर)

एच.

462

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

तीन न्यायाधीशों में से, डी. स्टीफन जोसेफ **13** मामले में पहले के फैसले से खुद को अलग कर लिया था, दो न्यायाधीशों का फैसला होने के नाते, उस नियम की सही व्याख्या पर, विचाराधीन।

11. उपरोक्त के परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

बी.

इस न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक कार्यवाही

12. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित किया। संदर्भ देते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि डी. स्टीफन जोसेफ 14 मामला स्पष्ट रूप से सही राय को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था क्योंकि लगभग समान नियमों का अर्थ लगाते हुए, तीन-न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने शैलेंद्र दानिया और अन्य में इसके विपरीत राय दी थी। 15 मामले भी

सी.

के. के. दीक्षित और ओआरएस बनाम राजस्थान आवास बोर्ड और ए. एन. आर 16, जिसमें इस न्यायालय ने राय दी थी कि अनुभव की अवधि की गणना डिग्री के अधिग्रहण की तारीख से की जानी चाहिए। इस प्रकार यह मामला तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया, जैसा कि अब संदर्भ में हमारे विचार के लिए गठित किया गया है।

डी.

हमारे सामने बहस

13. अपीलार्थियों की ओर से, यह प्रचार करने की मांग की गई थी कि नियम की व्याख्या दो सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए:

ई.

आई. एक शैक्षणिक योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन और निर्दिष्ट पद में एक निश्चित संख्या में वर्षों का अनुभव एक संचयी आवश्यकता है। एक उच्च शैक्षिक योग्यता पदधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में गुणात्मक अंतर लाती है। इसलिए, पदोन्नति के लिए कम वर्षों के अनुभव के इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की जाती है, अर्थात्, काम में दक्षता प्राप्त करना।

एफ.

ii. जलरोधी डिब्बों का निर्माण दो वर्गों के कर्मचारियों के लिए किया जाता है-उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले जिन डिब्बों में कम वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है, और जिन डिब्बों में कम सेवा की आवश्यकता होती है।

जी.

13 (ऊपर) 14 (ऊपर) 15 (ऊपर)

16 (2015) 1 एससीसी 474 ए

एच.

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

कम शैक्षणिक योग्यता के साथ सेवा के वर्षों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। इस सीमांकन का ऊपर बताए गए उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है, और इस तरह के सीमांकन का कोई भी उल्लंघन असमानों को समान मानने के बराबर होगा, जिससे नियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

**14.** यह प्रस्तुत किया गया था कि शैलेंद्र दानिया और अन्य में तीन-न्यायाधीशों की पीठ। **17** मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था और लगभग समान नियम की व्याख्या की गई थी। उस फैसले का आगे भी पालन किया गया और इस न्यायालय ने के. के. दीक्षित और अन्य मामलों में उस पर भरोसा किया। **18** मामले। न्यायालययन्यायालयहन्यायालय  
न्यायालयआन्यायालयगन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयसन्यायालयन्यायालयतन्यायालयुन्यायालयतन्यायालय  
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय

न्यायालयगन्यायालययन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय  
न्यायालयडन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय

न्यायालयस न्यायालय न्यायालय ट न्यायालयी न्यायालय फ न्यायालय न न्यायालय  
न्यायालय ज न्यायालयो न्यायालय स न्यायालये न्यायालय फ न्यायालय

न्यायालय 1 न्यायालय 9 न्यायालय

न्यायालयमन्यायालयान्यायालयमन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयदन्यायालयोन्यायालय-

न्यायालयनन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालयधन्यायालयीन्यायालय  
शन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय

न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयठन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय

न्यायालय फ न्यायालयै न्यायालय स न्यायालय ल न्यायालये न्यायालय

न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय

न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयन्यायालयवन्यायालयवन्यायालयरन्यायालयन्यायालयतन्  
यायालयीन्यायालय न्यायालयमन्यायालयून्यायालयलन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय  
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालययन्यायालयहन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयवन्यायालयान्यायालयसन्यायालयन्यायालयतन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय  
न्यायालयपन्यायालयान्यायालयठन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयडन्यायालयिन्यायालयगन्यायालयरन्यायालयीन्यायालय

न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयकन्यायालय

न्यायालयजन्यायालयून्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयइन्त्यायालयन्यायालयजन्त्यायालयीन्त्यायालयनन्त्यायालयिन्यायालययन्त्यायालयरन्त्यायालय  
य न्यायालयदन्त्यायालयन्त्यायालयवन्त्यायालयान्यायालयरन्त्यायालयान्यायालय  
न्यायालयपन्त्यायालयन्त्यायालयरन्त्यायालयदन्त्यायालयान्यायालयनन्त्यायालय  
न्यायालयकन्त्यायालयीन्त्यायालय न्यायालयगन्त्यायालयईन्त्यायालय  
न्यायालयसन्त्यायालयेन्त्यायालयवन्त्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्त्यायालयीन्त्यायालय  
न्यायालयगन्त्यायालयुन्त्यायालयणन्त्यायालयवन्त्यायालयतन्त्यायालयन्त्यायालयतन्त्यायालयान्यायालय  
न्यायालयमन्त्यायालयेन्त्यायालयन्यायालय न्यायालयअन्त्यायालयन्यायालयतन्त्यायालयरन्त्यायालय  
न्यायालयकन्त्यायालयेन्त्यायालय न्यायालयबन्त्यायालयान्यायालयरन्त्यायालयन्यायालय  
न्यायालयमन्त्यायालयेन्त्यायालयन्यायालय न्यायालयमन्त्यायालयौन्त्यायालयनन्त्यायालय  
न्यायालयहन्यायालयैन्त्यायालय।न्यायालयउस निर्णय को पूरी तरह से केवल पिछले अभ्यास के  
तर्कों पर आधारित बताया गया था न कि प्रासंगिक नियम के वास्तविक अर्थ और व्याख्या के  
रूप में।

बी.

सी.

डी.

15. नियम का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि "के साथ" शब्द का सादा और  
शब्दकोश अर्थ "के साथ" है। शब्दकोश में समानार्थी शब्द हैं "साथ में, साथ में,

साथ में, साथ ही साथ "। इस प्रकार, प्रस्तुत करना

अपीलार्थियोंओं का कहना था कि "के साथ" या "और" शब्द के उपयोग के बावजूद, यह एक  
संयुग्म वाक्यांश है और तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में, शैक्षिक योग्यता और सेवा अनुभव  
की आवश्यकता एक संचयी आवश्यकता है।

ई.

16. अपीलार्थियोंओं ने तर्क दिया कि उन्होंने निजी उत्तरदाताओं की तुलना में बहुत लंबे समय  
तक डिग्री रखने वाले कनिष्ठ अभियंताओं के रूप में अर्हता प्राप्त की थी, जिन्होंने केवल डिप्लोमा  
रखने वाले कनिष्ठ अभियंताओं के रूप में सेवा में प्रवेश किया था और वास्तव में डिग्री कोटे में  
आकर अपनी डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद अपनी पदोन्नति अर्जित की थी। यह निजी  
उत्तरदाताओं को नियम की गलत व्याख्या के आधार पर और डी के मामले में इस न्यायालय के  
पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए डिग्री धारकों के लिए निर्धारित कोटे में घुसपैठ करने की  
अनुमति देने के लिए कहा गया था।

एफ.

जी.

स्टीफन जोसेफ **20.**

17 (ऊपर) 18 (ऊपर) 19 (ऊपर) 20 (ऊपर)

एच.

464

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

17. दूसरी ओर, डी. स्टीफन जोसेफ के **21** मामले में लिए गए दृष्टिकोण की सराहना करते हुए उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि

उस मामले में दृष्टिकोण और शैलेंद्र दानिया और अन्य। **22** मामला वास्तव में नहीं है

भिन्नता में। नियम को अलग बताया गया था। इसके अलावा,

शैलेंद्र दानिया और ओआरएस में किए गए अवलोकन। **23** मामला, जो

यह दर्शाए कि डी. स्टीफन जोसेफ **24** मामले में लिए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं माना गया है। दो अन्य न्यायिक फैसलों का भी संदर्भ दिया गया था।

बी.

अनिल कुमार गुप्ता न्यायालय दिल्ली नगर निगम **25** और चंद्रावती पी. के. और ओ. आर. एस. न्यायालय दिल्ली नगर निगम **25**. सी. के. साजी और अन्य। **26**, जो भी था

डी. स्टीफन जोसेफ **27** मामले में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और इस प्रकार, उस मामले को उप-मौन नहीं कहा जा सकता है। ये दोनों निर्णय एक बार फिर तीन न्यायाधीशों की पीठ के हैं और बाद के फैसले में डिप्लोमा धारकों की सेवा अवधि की गिनती के संबंध में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था।

सी.

18. उपरोक्त घोषणाओं का प्रभाव यह बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बिजली विभाग के मामले में, नियमों के संबंध में जो सिद्धांत सामने आया है, वह यह है कि सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से, डिप्लोमा धारक अपनी डिग्री के अधिग्रहण से पहले अपनी सेवा की गणना कर सकते हैं।

डी.

उपरोक्त निर्णयों और हमारे दृष्टिकोण का विश्लेषण:

ई.

19. आग्रह किए गए तर्कों और न्यायिक उदाहरणों के संदर्भ में विवाद की जांच करने पर, हम कह सकते हैं कि वास्तव में, सी में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

चक्रवर्थी और ओआरएस. वी.एम. सत्यवती, आई. ए. एस और अन्य। **28** यद्यपि यह है दो-न्यायाधीशों की पीठ का विचार है कि इसी मुद्दे की जांच की गई है, जिस पर वास्तव में हमारे सामने बहस की जानी चाहिए। यह पैरा 10 में निम्नानुसार देखा गया था:

एफ.

“हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं के उस निवेदन में काफी योग्यता है। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि इस न्यायालय ने

21 (ऊपर) 22 (ऊपर) 23 (ऊपर) 24 (ऊपर)

जी.

25 (2000) 1 एससीसी 128 26 (2004) 3 एससीसी 734 27 (ऊपर)

28 (2015) 16 एससीसी 652 ए

एच.

465

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि सेवा में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल योग्यता और योग्यता के आधार पर होगी और उम्मीदवारों की वरिष्ठता को ऐसी योग्यता निर्धारित करने के लिए एक इनपुट के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने सरकार द्वारा अपनाई गई उस प्रक्रिया को भी बहुत स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है जिसमें उम्मीदवार द्वारा अपनी डिग्री योग्यता प्राप्त करने की तारीख को एक निर्धारक कारक के रूप में लिया गया था। ऐसा होने पर, और विचार के लिए पात्र उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सरकार रक्तियों की संख्या के आधार पर विचार के क्षेत्र को सीमित करने की विधि अपनाने की हकदार थी। चूंकि सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देशों पर भरोसा किया था, इसलिए उसने कोई गलती नहीं की। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या सरकार कैडर में सेवा की अवधि के संदर्भ में नहीं, बल्कि उस तारीख के संदर्भ में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर सकती है जिस दिन उम्मीदवारों ने पात्रता प्राप्त की थी, जैसा कि पहले देखा गया था, जो स्वयं उस तारीख पर निर्भर थी जिस पर उम्मीदवार ने डिग्री योग्यता प्राप्त की थी। हालाँकि, चूंकि एक

डिग्री योग्यता का अधिग्रहण स्वयं किसी भी लगातार समान मानदंड, परीक्षा या प्रक्रिया पर आधारित नहीं था, इसलिए जिस तारीख को ऐसी योग्यता प्राप्त की गई थी और जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार ने अपनी पात्रता प्राप्त की थी, वह तारीख भी समान और गैर-भेदभावपूर्ण के अलावा कुछ भी होने के लिए बाध्य थी। पात्रता प्राप्त करने की तारीख और अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेवा में प्रवेश करने की तारीख के बीच, हमारी राय में, समीक्षा डी. पी. सी. द्वारा योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए आवेदन करने के लिए एक अधिक समझदार, निष्पक्ष और उचित पैमाना था। चूंकि समीक्षा डी. पी. सी. ने योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के आधार के रूप में पात्रता प्राप्त करने की तारीख पर भरोसा किया, इसलिए उसने एक गलती की जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।”20. उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने से पता चलता है कि सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल योग्यता और योग्यता पर आधारित होनी थी। इस तरह की योग्यता निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जा सका। इस योग्यता-आधारित चयन में, योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए एक योग्यता प्रिस्क्रिप्शन था। जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा में बिताए गए समय की अवधि इस बात पर निर्भर करती थी कि व्यक्ति के पास योग्यता डिग्री या योग्यता डिप्लोमा है या नहीं। जूनियर इंजीनियर का काम करने के लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, और सभी व्यक्ति समान थे। यह विशिष्टता तभी लागू हुई जब योग्यता-आधारित पदोन्नति को प्रभावी होना पड़ा। अतः कब तक

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

466

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

व्यक्ति ने अपने ज्ञान की उन्नति के तरीके के रूप में डिग्री प्राप्त की और उसे समय अवधि में पहले के विचार के लिए हकदार बनाना प्रासंगिक नहीं होगा।

21. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, "वरिष्ठता पर निर्देश और दिशानिर्देश", हमारे सामने रखे गए हैं। जहां तक पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता का संबंध है, प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

बी.

“ 2.2.लाभों की विशिष्टता

.....

2.2.1 जहां एक से अधिक ग्रेड से एक ग्रेड में पदोन्नति की जाती है और प्रत्येक फीडर ग्रेड के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, पात्र व्यक्तियों को उनकी संबंधित ग्रेड में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के क्रम में अलग-अलग सूचियों में व्यवस्थित किया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उचित मूल्यांकन किए गए प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों को पद के लिए भर्ती नियमों में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित अनुपात में नियुक्त किया जाएगा।”

सी.

डी.

**22.** चंद्रावती पी. के. और अन्य मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। **29** ने इस मुद्दे पर पहले के कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं

डी. स्टीफन जोसेफ **30**, सतपाल अंतिल बनाम भारत संघ **31**, अनिल कुमार गुप्ता **32**, ए. के. रघुमनी सिंह बनाम गोपाल चंद्र नाथ **33** और प्रमोद के. पंकज बनाम बिहार राज्य **34**

ई.

इन निर्णयों में से अंतिम। निर्धारित सिद्धांत यह है कि इसके तहत बनाए गए किसी भी वैधानिक परंतुक या नियम के अभाव में या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत, एक बार नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्त होने के बाद, उनकी वरिष्ठता को नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए।

एफ.

**23.** शैलेंद्र दानिया और ओआरएस में। **35** मामले में, पैरा **36** में यह देखा गया कि पूर्व अभ्यास सेवा नियम का अर्थ लगाते समय एक प्रासंगिक पहलू होगा। उपरोक्त निर्णय ने खुद को डी. स्टीफन जोसेफ **36** मामले से इस आधार पर अलग किया कि नियमों की व्याख्या

29 (ऊपर) 30 (ऊपर)

जी.

31 (1995) 4 एससीसी 419 32 (ऊपर)

33 (2000) 4 एससीसी 30 34 (2004) 3 एससीसी 723 35 (ऊपर)

एच.

467

टी. वाल्सन (डी) टीएचआर। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनामके. कनगराज और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ए.

मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और नियमों के शब्दों के साथ-साथ पिछली प्रथाएं महत्वपूर्ण मानदंड हैं। इसी तरह, वर्तमान मामले में, बिजली विभाग की डिग्री के अधिग्रहण से पहले सेवा के वर्षों पर विचार करने की पुरानी प्रथा है।

24. एम. बी. जोशी 37 मामले में भी पूर्व अभ्यास के महत्व के सिद्धांत को देखा गया है। यह निर्णय उस पहलू पर भी चर्चा करता है जहां पदोन्नति के लिए दो माध्यम हैं (जैसा कि वर्तमान मामले में है) और यह दर्शाता है कि यदि सेवा की कुल अवधि को नहीं गिना जाना था, तो उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं कहा जा सकता था सिवाय एक शैक्षणिक खोज के। प्रोत्साहन यह है कि यदि आप डिप्लोमा की तुलना में उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आप एक ऐसे चैनल में आते हैं जो विचार का हकदार है, भले ही योग्यता के आधार पर, कैडर में कम वर्षों की सेवा के साथ एक तेज लेन में।

बी.

सी.

25. हमारे विचार में, महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक नियम का शब्दांकन है। नियमों के अनुसार, पदोन्नति कोटे का 50 प्रतिशत जूनियर इंजीनियरों से है जो ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ हैं और जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है। नियम में यह नहीं कहा गया है कि किस तारीख से नियमित सेवा की अवधि को गिना जाना है, लेकिन तीन साल की नियमित सेवा के साथ-साथ एक डिग्री की भी दोहरी आवश्यकता है। इसके विपरीत, जूनियर इंजीनियरों की 50 प्रतिशत पदोन्नति की दूसरी योजना में ग्रेड में सात साल की नियमित सेवा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले "के साथ" शब्द का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक और जूनियर इंजीनियर के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के बीच अंतर डिग्री प्राप्त करने से पहले या बाद के वर्षों के बीच किसी भी अंतर के बिना है। अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार करना नियमों की आवश्यकता में सम्मिलित करने के बराबर होगा, जो निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, इस तरह से विभाग, नियमों के निर्माताओं द्वारा नियम को समझा गया है और तदनुसार, समय के साथ बिजली विभाग में नियमों को समान रूप से लागू किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नियमों के निर्माताओं के विचार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

निष्कर्ष:

जी.

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि डिग्री के अधिग्रहण से पहले या बाद की अवधि के बीच कोई अंतर नहीं है, जब तक कि डिग्री प्राप्त की जाती है और पदोन्नति पर विचार करने का आधार है। हम हैं,

एच.

37 (ऊपर)

468

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

इस प्रकार, यह विचार कि विचाराधीन विभाग के लिए उपरोक्त सभी कारणों के लिए, डी. स्टीफन जोसेफ 38 में लिया गया दृष्टिकोण लागू कानून माना जाता है, और हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं।

27. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

38 (ऊपर)

एच.